एशियन गेम्स : कबड्डी में भारत को मिला डबल गोल्ड

महिला और पुरुष टीम ने फाइनल के रोमांचक मुकाबले में अपने प्रतिस्पर्धी इरान को दी करारी शिकस्त

नागोया, 26 सितंबर (वि.प्र.)

जापान के नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारत के लिए शनिवार का दिन खास रहा. कबड्डी में भारत को दोहरी खुशी मिली. पहले महिला टीम (37-34) ने ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीता. इसके कुछ समय बाद ही मेंस टीम ने ईरान को हराकर सोने पर कब्जा जमाया. भारतीय मेंस टीम ने ईरान को 40-34 से हराया. इस जीत के साथ भारत ने मेंस कबड्डी में अपना ही रिकॉर्ड बेहतर करते हुए 9वां एशियाई खेल गोल्ड मेडल जीता. साथ ही इस खेल में देश का दबदबा और मजबूत किया। एशियन गेम्स 2026 में भारत का यह चौथा गोल्ड मेडल है.



पहले हाफ में ईरान का दबदबा देखने को मिला. हाफ-टाइम तक ईरान 18-17 से आगे हो जाता है. हालांकि, दूसरे हाफ में भारतीय टीम जोरदार वापसी करती है. फाइनल मैच की शुरुआत से ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें भारत और ईरान के बीच कड़े संघर्ष के साथ पॉइंट्स का आदान-प्रदान हुआ.

अर्जुन देशवाल और देवांक दलाल ने आक्रामक रेड के साथ भारत के अटैक की कमान संभाली, जबकि अली समदी चौबतराश ने ईरान के लिए शुरुआती चुनौती पेश की. सुनील कुमार ने डिफेंस में मोहम्मदरेजा शादलूइचियानेह पर एक अहम सुपर टैकल करके तुरंत अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं अर्जुन ने टच और बोनस प्वाइंट्स के दम पर भारत की बढ़त बनाए रखी.हालांकि, ईरान ने तब बढ़त हासिल कर ली जब अमीरमोहम्मद जफर दानिश ने एक सफल ऑल-आउट रेड करके अपनी टीम को आगे कर दिया.

दोनों टीमों ने डिफेंस में धैर्य और अनुशासन दिखाया, जिससे मुकाबला बराबरी का बना रहा. अर्जुन भारत के लिए लगातार प्वाइंट हासिल करते रहे, जबकि जयदीप ने अहम डिफेंसिव मूव्स से मैच का रुख फिर से भारत की ओर मोड़ा. ईरान के कप्तान फजल अत्राचली ने सुपर टैकल से जवाब दिया. फिर जफर दानिश ने देवांक दलाल को पकड़कर ईरान को दूसरे हाफ में 18-17 की मामूली बढ़त दिलाई.

कबड्डी में भारत का दबदबा

कबड्डी में भारत का दबदबा जारी है. इस खेल को 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किए जाने के बाद से भारतीय पुरुष टीम ने 9 पदक जीते हैं. इनमें 8 स्वर्ण पदक शामिल हैं. 2018 में भारत का स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला टूटा था, जब टीम को कांस्य पदक मिला था.

एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मेडल आया है. भारत की महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल कर ली है. फाइनल में भारत ने मजबूत ईरान की टीम को 37-34 से हरा दिया. एशियन गेम्स के इतिहास में भारतीय महिला टीम को मिला यह चौथा गोल्ड मेडल है.फाइनल मैच में भारतीय टीम शुरू से ही अटैक रणनीति के साथ खेल रही था और पूरे मैच के दौरान अपना दबदबा बनाए रखा, यही कारण था कि हाफ टाइम के समय भारतीय महिला टीम 22 के स्कोर के साथ आगे थे और ईरान 16 प्वाइंट हासिल करने में सफल रही थी. इसके बाद हालांकि बाद में ईरान टीम ने वापसी की लेकिन आखिर में भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों ने शानदार गेम दिखाया और अंत में 37-34 के अंतर से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया.



भारतीय टीम बिना कोई भी मैच हारे चैंपियन बनी

एशियन गेम्स में भारतीय टीम बिना कोई भी मैच हारे चैंपियन बनी है. टीम इंडिया ने अपने तीनों ग्रुप मुकाबले जीते फिर सेमीफाइनल और फाइनल में शानदार जीत हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. भारत ने अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश पर 42-21 की जीत के साथ की थी, जिसके बाद ईरान को 37-23 से हराया. इसके बाद जापान पर 50-25 से शानदार हासिल की और ग्रुप-ए में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई. सेमीफाइनल में भारत ने नेपाल को 48-24 के अंतर से हराकर फाइनल में जगह बना ली. इसके बाद फाइनल में ईरान को 37-34 के अंतर से हराया.

बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में अपील पर कल सुनवाई

पहलवानों ने अपील में सह आरोपी विनोद तोमर के बरी होने को भी राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वि.प्र.)

राउज़ एवेन्यू कोर्ट में WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में अपील पर 28 सितंबर को सुनवाई करेगा. दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को चार महिला पहलवानों की उस अपील पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी, जिसमें यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी नेता और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह को बरी किए जाने को चुनौती दी गई है.

पहलवानों ने अपनी अपील में इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर के बरी होने को भी चुनौती दी है. राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग विनय सिंह, जिन्हें शनिवार को इस मामले की सुनवाई करनी थी, न्यायिक प्रशिक्षण के कारण छुट्टी पर थे. राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स के स्पेशल जज दिग विनय सिंह, जिन्हें शनिवार को इस मामले की सुनवाई करनी थी, न्यायिक प्रशिक्षण के कारण छुट्टी पर थे. इसके अनुसार, मामला अब सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.



पहलवानों ने 3 अगस्त को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है. उनका तर्क है कि यह आदेश कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं है और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की साफ तौर पर गलत और चुनिंदा समझ पर आधारित है. अपील में कहा गया है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह अटकलों और अनुमानों पर आधारित है. इसमें कानून के बाध्यकारी और स्थापित सिद्धांतों को लागू नहीं किया गया है. साथ ही, इसका तर्क मुख्य रूप से यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की शिकार महिलाओं के अपेक्षित व्यवहार के बारे में पुरानी और रूढ़िवादी धारणाओं पर टिका है, न कि पीड़ितों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और सबूतों पर आधारित मूल्यांकन पर.

चुनौती दिए गए आदेश में, CJM ने पीड़ितों की लंबी चुप्पी, आरोपी के साथ लगातार अच्छे संबंध और गवाही में विरोधाभास का

हवाला देते हुए कहा कि इन हालात से अभियोजन पक्ष के मामले पर उचित संदेह पैदा होता है. यह देखा गया कि रिकॉर्ड में ऐसी कई तस्वीरें थीं जिनसे पता चलता था कि पीड़ितों ने सिंह को पारिवारिक कार्यक्रमों और शादी-ब्याह के समारोहों में भी आमंत्रित किया था. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बात समझ में आती है. जैसा कि आरोप लगाया गया है कि अगर महिला पहलवानों ने सिंह के ख़िलाफ़ शिकायत की होती, तो WFI के तत्कालीन अध्यक्ष होने के नाते वे उनका करियर बर्बाद कर सकते थे; लेकिन यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि उन्होंने इतने सालों तक उनके साथ अच्छे संबंध क्यों बनाए रखे.

हर पांच में से एक किशोर के नशे की चपेट में आना चिंताजनक : सीजेआई सूर्यकांत

पटना, 26 सितंबर (वार्ता)



सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बच्चों और किशोरों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को केवल स्वास्थ्य समस्या मानकर नहीं छोड़ा जा सकता और इसे बाल संरक्षण का महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए उनके अंदर संवेदनशील तथा समग्र विकास की व्यवस्था विकसित करने के साथ शिक्षा, विश्वास और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में हर 5वां किशोर नशे की चपेट में आने की जानकारी बहुत चिंताजनक है.

बिहार लोक भवन में आज 'पाटलिपुत्र प्रज्ञा प्रवाह' के व्याख्यान में 'चाइल्डहुड बियॉन्ड ड्रग्स : प्रोटेक्शन, केयर एंड रिइंटीग्रेशन' विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि नशे की गिरफ्त में आए बच्चे को केवल उसकी समस्या या गलती के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उसके पीछे की परिस्थितियों को समझना और उसे सामान्य जीवन में लौटने का अवसर देना समाज और व्यवस्था की जिम्मेदारी है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने हाल के एक लैंसेट अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि भारत में कम से कम हर पांच में से एक किशोर के नशे के मध्यम से उच्च जोखिम में होने की बात सामने आई है. यह स्थिति बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत को रेखांकित करती है.

बिना बिजली पर चलने वाले AODD पंप की उद्योगों में बढ़ी मांग

केमिकल, फार्मा, पेंट और डिफेंस सेक्टर में बढ़ा इस्तेमाल; मेक इन इंडिया से भारतीय निर्माताओं के लिए खुल रहे नए अवसर

मुंबई, 26 सितंबर (आ.प्र.)

देश में तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य के बीच फ्लुइड हैंडलिंग तकनीक भी नए दौर में प्रवेश कर रही है. केमिकल, फार्मास्युटिकल, पेंट-कोटिंग, फूड प्रोसेसिंग से लेकर रक्षा क्षेत्र तक ऐसे पंपिंग सिस्टम की जरूरत बढ़ रही है, जो कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम कर सकें. इसी जरूरत के बीच एयर ऑपरेटेड डबल डायफ्राम पंप का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है.

पारंपरिक पंपों के मुकाबले AODD पंप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके संचालन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत नहीं होती. यह कंप्रेस्ड एयर यानी संपीड़ित हवा से चलता है.

दो डायफ्राम बारी-बारी से आगे-पीछे होते हुए तरल पदार्थ को खींचते और आगे पहुंचाते हैं. इसी वजह से ज्वलनशील केमिकल, एसिड, सॉल्वेंट और घर्षणकारी तरल पदार्थों के संचालन में इसे उपयोगी माना जाता है.

भारतीय इंजीनियरिंग के लिए सुनहरा मौका

'मेक इन इंडिया' और औद्योगिक निर्यात पर बढ़ते जोर के बीच AODD जैसे विशेष पंपिंग उपकरण भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक उभरता अवसर बन सकते हैं. सुरक्षा, विश्वसनीयता और कम रखरखाव की जरूरत जिस तरह उद्योगों में बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में आधुनिक फ्लुइड हैंडलिंग तकनीक का दायरा और व्यापक होने की संभावना है.

सुरक्षा बनी सबसे बड़ी जरूरत

औद्योगिक इकाइयों में फ्लुइड ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है. खासकर पेंट, सॉल्वेंट और केमिकल उद्योगों में आग या इलेक्ट्रिकल स्पार्क का जोखिम गंभीर हो सकता है. AODD पंप न्यूमैटिक तकनीक पर आधारित होने के कारण ऐसे वातावरण में उपयोगी विकल्प के रूप में उभर रहा है.

इसके साथ ही ड्राई-रन की क्षमता और अपेक्षाकृत कम रखरखाव जैसी विशेषताएं भी उद्योगों का ध्यान इसकी ओर खींच रही हैं. यही कारण है कि केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल प्लांट में एसिड और सॉल्वेंट ट्रांसफर, फार्मा एवं फूड प्रोसेसिंग में फ्लुइड हैंडलिंग तथा पेंट और कोटिंग उद्योग में गाढ़े एवं घर्षणकारी तरल पदार्थों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है. रक्षा प्रतिष्ठानों, वाटर ट्रीटमेंट, फाउंड्री और माइनिंग इकाइयों में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है.

मेक इन इंडिया से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बल

इस बदलते औद्योगिक बाजार में भारतीय निर्माता भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं. दस्तावेज के अनुसार Antlia Engineering Works (Antlia Works) AODD पंप के साथ बैरल पंप और अन्य फ्लुइड हैंडलिंग उपकरणों का निर्माण करती है. कंपनी आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है और उसके उत्पाद 20 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं.



AODD पंप की प्रमुख खूबियां

- कंप्रेस्ड एयर से संचालन,
- इलेक्ट्रिक मोटर की जरूरत नहीं
- ज्वलनशील एवं घर्षणकारी तरल पदार्थों को संभालने की क्षमता
- ड्राई-रन की सुविधा,
- अपेक्षाकृत कम रखरखाव
- विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग

सिर्फ कीमत नहीं, तकनीकी जरूरत के हिसाब से हो पंप का चयन

विशेषज्ञों के मुताबिक किसी औद्योगिक इकाई के लिए AODD पंप चुनते समय केवल कीमत को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. पंप बॉडी के मटेरियल की संबंधित केमिकल से अनुकूलता, जरूरी फ्लो रेट, डिस्चार्ज हेड, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और बिक्री के बाद मिलने वाली तकनीकी सेवा जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है. मूल सामग्री में SSपॉलीप्रोपिलीन और PVDF जैसे मटेरियल विकल्पों का उल्लेख किया गया है.

भारत में औद्योगिक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ ऐसे विशेष उपकरणों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी नए अवसर बन रहे हैं. इससे आयात पर निर्भरता कम करने के साथ भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए वैश्विक बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की संभावनाएं पैदा हो रही हैं.

समृद्धि हाईवे पर कार कंटेनर से टकराई, बच्चे समेत तीन मृत

छत्रपति संभाजीनगर, 26 सितंबर (वि.प्र.)

समृद्धि राजमार्ग पर एक भीषण दुर्घटना घटित हुई है. इस दुर्घटना में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई है. यह दुर्घटना समृद्धि राजमार्ग पर छत्रपति संभाजीनगर में हुई. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, दुर्घटना चालक की नींद के कारण हुई. वेरुल क्षेत्र में समृद्धि राजमार्ग पर एक भीषण दुर्घटना में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई. नासिक से जालना जा रही एक एक्सयूवी कार ने पीछे से गुजर रहे एक कंटेनर को टक्कर मार दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना चालक के नींद में गाड़ी चलाने और नियंत्रण खोने के कारण हुई. एक्सयूवी कार के चालक प्रतीक रामकिशन जगदाले, श्रेया राजेंद्र पांडे और एक तीन वर्षीय बच्चे की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई. दुर्घटना के बाद तीनों वाहन में फंस गए थे. वेरुल की क्यूआरवी टीम की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और हाईवे एम्बुलेंस से घाटी के अस्पताल ले जाया गया.

ज्ञानेशकुमार के...

(पेज 1 से आगे)

पुलिस द्वारा मार्च को रोकने के प्रयास में कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए. हम भारत में लोकतंत्र को नष्ट होते हुए चुपचाप नहीं देखेंगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाएगी. इससे पहले, शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने ज्ञानेश कुमार के चेहरे वाले मास्क पहने और हाथों में जंजीर बांधे हुए थे. उन्होंने चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण चुनावी निर्णयों पर कथित मतभेदों के कारण कुमार के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और पोस्टर व बैनर प्रदर्शित किए, जिनमें ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग की गई थी. ये प्रदर्शनकारी रायसीना रोड स्थित आईवाईसी कार्यालय से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च करते हुए आगे बढ़े. असम में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई और कई कार्यकर्ताओं को पार्टी के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया. बिहार की राजधानी पटना में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.

जंतर-मंतर पर...

(पेज 1 से आगे)

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया. बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. पंजाब के चंडीगढ़ में भी पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस वाहनों के ऊपर चढ़ गए. जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

ज्ञानेशकुमार के खिलाफ...

(पेज 1 से आगे)

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एक अंग्रेजी अखबार में एक रिपोर्ट छपी. रिपोर्ट का दावा है कि पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 14 बार आयोग के फैसलों पर लिखित आपत्ति जताई.बिना उनकी सलाह के जारी आदेशों, वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म 6 में बदलाव, वोटइस मसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता. तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने भी इस बहस में अपनी राय रखी. टीडीपी के लोकसभा फ्लोर लीडर लावु श्रीकृष्ण देवरायालु ने कहा कि उनके राज्य आंध्र प्रदेश में डखठ की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से हुई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आयोग की चुप्पी ठीक नहीं है. लावु श्रीकृष्ण देवरायालु ने कहा, आंध्र प्रदेश में हमने इस काम को बहुत करीब से देखा है और यह पूरी तरह पारदर्शी रहा. हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला. यहां तक कि विपक्ष भी कोई गड़बड़ी साबित नहीं कर पाया. लेकिन भारत का चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था है.

पूरे महाराष्ट्र में ...

(पेज 1 से आगे)

केवल अनंत चतुर्दशी के दिन अकेले मुंबई में 34,000 से अधिक प्रतिमाएं विसर्जित की गईं, वहीं देश और विदेश में भी भारतीय समुदाय ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ गणराया को विदा किया. मुंबई में शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी से शुरू हुआ 12 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन शनिवार को लालबागचा राजा और चिंचपोखलीचा चिंतामणि जैसी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ हुआ. गिरगांव चौपाटी पर 21 घंटे से अधिक समय तक चले मैराथन जुलूस के बाद, प्रसिद्ध लालबागचा राजा को शनिवार सुबह करीब 10:50 बजे भारी जनसैलाब के बीच अरब सागर में विसर्जित किया गया. अंतिम पूजा और आरती के बाद, मछुआरों और श्रद्धालुओं की मदद से नाव द्वारा प्रतिमा को गहरे पानी में ले जाया गया. इस दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी नाव पर मौजूद थे. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की रिपोर्ट के अनुसार, 12वें दिन शनिवार सुबह 9 बजे तक कुल 34,806 प्रतिमाओं (6,604 सार्वजनिक, 27,649 घरेलू और 553 गौरी प्रतिमाएं) का विसर्जन संपन्न हो चुका था. चिंचपोखलीचा चिंतामणि का विसर्जन सुबह 10 बजे और बाल गणेश मंडल की प्रतिमा का विसर्जन सुबह 11 बजे किया गया.

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
सिग्नलिंग का कार्य

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर (परियोजना) कार्यालय, मध्य रेलवे, सोलापुर निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.ireps.gov.in पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है: **निविदा सूचना संख्या. SUR-SNT-PROJ-ABS-01-2026, दिनांक: 25.09.2026. इलाके के साथ काम का नाम:** मध्य रेलवे के सोलापूर मंडल के माढा - टिकेकरवाड़ी खंड के बीच ऑटो ब्लॉक हट (एस एंड टी सर्विस बिल्डिंग) के निर्माण और विद्युतीकरण सहित संबंधित कार्यो के साथ ऑटो ब्लॉक हट्स में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और साथ लगा हुए स्टेशनों पर मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक/ रिले इंटरलॉकिंग में परिवर्तन के साथ निरंतर ट्रैक सर्किटिंग के लिए मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर का उपयोग करके स्वचालित सिग्नलिंग कार्य के सर्वेक्षण, डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का संयुक्त कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत:** रु. 80,52,10,740.79. **टेंडर फॉर्म की कीमत:** शुन्य। **जमा की जाने वाली धरोहर राशि:** रु. 1,61,04,200/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 24 महीने। **निविदा के समापन की तिथि और समय:** 30.10.2026 after 15:00 Hrs. अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.ireps.gov.in** देखें।
सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर (परियोजना), मध्य रेल्वे, सोलापुर
AK/Sur-54
सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

RNI No. 32038/79
दै. आज का आनंद
संस्थापक संपादक
श्याम ग्यानिराम अग्रवाल

'आज का आनंद' यह दैनिक 'आज का आनंद पब्लिकेशन्स एलएलपी' के लिए प्रकाशक आनंद श्याम अग्रवाल द्वारा मुद्रक डॉ. योगेश प्रतापसिंह जाधव इनके श्री छत्रपती प्रेस, सर्वे नं. 53, पुणे-सातारा रोड, कात्रज, पुणे - 411046 से मुद्रित व ऑफिस नं. 405 से 408, चौथी मंजिल, सिटी स्क्वेअर, 29/2, भांबुर्डा, सीटीएस 1723, शिवाजीनगर, पुणे- 411005 से प्रकाशित किया. **संपादक : आनंद श्याम अग्रवाल** * (*पीआरपी कानून 2023 के अनुसार सभी लेख व समाचारों की जिम्मेदारी इन पर है) सभी पत्रव्यवहार करने का पता: दै. आज का आनंद, ऑफिस नं. 405 से 408, चौथी मंजिल, सिटी स्क्वेअर, 29/2, भांबुर्डा, सीटीएस 1723, शिवाजीनगर, पुणे-411 005. फोन : (020) 25534888. Email : aajkaanand@gmail.com. दै. आज का आनंद या आज का आनंद पब्लिकेशन्स एलएलपी से संबंधित सभी विवाद/मामले केवल पुणे न्यायालय के अधीन ही होंगे.

Registered Date of Publication : Sunday 27-9-2026. RNI No. : 32038/79

ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री रोकने उपाय बताएं : SC

- केंद्र सरकार को अंतिम मौका, सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी पर भी उठाए सवाल

नई दिल्ली, 26 सितंबर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित होने वाली बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (उडएच्) पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा ब्योरा रिकॉर्ड पर रखने का अंतिम अवसर दिया है.

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ङ्गजस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंसफ (गठउ) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई ऑनलाइन मध्यस्थ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री की जानकारी संबंधित भारतीय अधिकारियों को देने में विफल रहते हैं. अदालत ने इससे पहले 14 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कानून एवं न्याय मंत्रालय से जवाब मांगा था. गुरुवार तक जवाब दाखिल नहीं होने पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है और सरकार को जवाब दाखिल करने का यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है. केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने अदालत को बताया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और एक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है.

फैसले पर अमल का ब्योरा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी बताने का निर्देश दिया कि सितंबर 2024 के अपने फैसले को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं. उस फैसले में बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मध्यस्थ कंपनियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में कहा था कि बाल यौन शोषण सामग्री को देखना या अपने पास संग्रहित करना भी आपराधिक दायित्व का आधार बन सकता है.

यूपी में भारी बारिश से 48 घंटों में 17 की मौत

लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, 50 किमी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं

- 32 जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, हजारों घरों में बारिश का पानी भरा
- अर्नब चक्रवात का असर, राजस्थान-मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में भी अलर्ट जारी



नई दिल्ली, 26 सितंबर (वि.प्र./वार्ता)

यूपी में भारी बारिश से पिछले 48 घंटे के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई. पिछले 48 घंटे से ज्यादा समय से लगातार हो रही बारिश से पूरे राज्य की जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गई. बताया जा रहा है कि यह अर्नब चक्रवात का असर है. वहीं राजस्थान-एमपी समेत 14 राज्यों में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. दूसरी ओर उत्तराखंड में बर्फबारी-लैंडस्लाइड से यहां की कई सड़कों का आवागमन बाधित हुआ. बता दें कि अर्नब चक्रवात के असर से उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों में समाचार लिखे जाने तक तेज बारिश हो रही थी. बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम अब दक्षिण छत्तीसगढ़ से उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है. इसके चलते राजस्थान-मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में 40-50 किमी/घंटे की हवाएं चल रही हैं. अलग-अलग हादसों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है. 32 जिलों में बाढ़ का खतरा है. लखनऊ के कई इलाकों में सड़कों पर तीन फीट तक पानी भर गया है. घरों के अंदर पानी घुस गया है. आंधी में पड़े गिर गए हैं. कन्नौज में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आंधी-बारिश से कार पलट गई. कार में पांच लोग फंस गए. बिहार में सुपौल के 50 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. 19 जिलों में यलो अलर्ट है. बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है. उत्तराखंड में चमोली के हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई है. पिथौरागढ़-घाट सड़क पर लैंडस्लाइड के कारण 300 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई हैं. यूपी के सीतापुर में बारिश और तेज हवाओं के बीच बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया. इससे ट्रैफिक बाधित हो गया और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा. पेड़ गिरने की घटना का लाइव वीडियो एक राहगीर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लगातार बारिश के बाद शिवनाथ नदी में पानी बढ़ गया है. कुम्हारी में बाढ़ का पानी बस्तियों तक पहुंचने से परिवार फंस गए. नगर सेना और एसडीआरएफ ने रात 12 से सुबह 5 बजे तक चले रेस्क्यू में 50-55 लोगों को सुरक्षित निकाला. यूपी के लखीमपुर और बाराबंकी में दीवार गिरने से 3-3, हमीरपुर और फतेहपुर में एक-एक की मौत हो गई. आगरा में बारिश के बीच तेज रफ्तार कार फिसलकर पलट गई. हादसे में 3 लोगों की जान चली गई.

खबरें संक्षेप में

मंदीप भंडारी सीबीएससी के नए चेयरमैन बने



नई दिल्ली, 26 सितंबर (वि.प्र.)

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सीनियर आईएएस अधिकारी मंदीप के भंडारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का चेयरपर्सन नियुक्त किया. भंडारी 2001 बैच के जीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. वह फिलहाल जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं. पिछले चार महीने में तीन सीबीएसई चेयरमैन बदल चुके हैं. मई तक राहुल सिंह सीबीएससी के चेयरमैन थे. 2 जून को ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) विवाद के बीच सरकार ने उन्हें हटा दिया था. फिर आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. दरअसल, 13 मई को सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया था. इस बार पहली बार कॉपियां कंप्यूटर स्क्रीन (ओएसएम सर्विस) पर चेक की गई थीं. रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने नंबरों को लेकर शिकायत की. विवाद बढ़ा और पूरे मामले की जांच शुरू की गई. सीनियर आईएएस अधिकारी मनदीप के भंडारी का पूरा नाम डॉ मनदीप कुमार भंडारी है.

पाकिस्तान में भीषण बम धमाका : 11 मृत, 30 घायल

इस्लामाबाद, 26 सितंबर (वि.प्र.)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान शहर में हुए एक धमाके में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई. इस घटना में 30 अन्य लोग घायल हो गए. यह घटना सड़क किनारे बने पुलिस चेकपॉइंट पर हुई. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक बयान में इस हमले की ज़िम्मेदारी ली.

पुलिस के अनुसार, शनिवार को उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में सड़क किनारे बने पुलिस चेकपॉइंट पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन में धमाका किया, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 अन्य घायल हो गए. प्रांतीय आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता बिलाल फैज़ी ने बताया कि यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में हुआ. पुलिस ने कहा कि मृतकों और घायलों को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया है और कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. इसकी वजह से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो में कथित विस्फोट स्थल से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया. घटनास्थल से ली गई एक तस्वीर में धुएं को करीब से देखा जा सकता है, साथ ही उस जगह के आस-पास ईंटें और अन्य सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कथित तौर पर यह घटना हुई.

असम मंत्रिमंडल ने मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण के नये नियमों को मंजूरी दी

गुवाहाटी, 26 सितंबर (वि.प्र.)

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम कैबिनेट ने राज्य में मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरमा ने बताया, राज्य भर में अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रियात्मक ढांचा स्थापित करने हेतु 'असम मुस्लिम विवाह पंजीकरण (अनिवार्य) नियम, 2026' को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने आगे कहा, अब से मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण रजिस्ट्रारों द्वारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि आवेदनों की संख्या बढ़ती है, तो सरकार धीरे-धीरे कुछ अतिरिक्त अधिकारियों को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करेगी ताकि लोगों को अपने विवाहों का पंजीकरण कराने में कोई कठिनाई न हो.उन्होंने कहा कि सरकार के एक पूर्व निर्णय ने 'काज़ियों' को मुस्लिम विवाहों को पंजीकृत करने से रोक दिया था, लेकिन पंजीकरण के लिए वैकल्पिक मंच का उल्लेख नहीं किया गया था. शर्मा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुस्लिम विवाहों को सरकार की पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से विधिवत पंजीकृत किया जाए.

गड़चिरोली में बाढ़ जैसे हालात : 525 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

गड़चिरोली, 26 सितंबर (वि.प्र.)

गड़चिरोली जिले में पड़ोसी छत्तीसगढ़ में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. भामरागढ़ इलाके से करीब 525 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ राहत और बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा. प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रही हैं.

हालांकि, अब बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम होने लगा है और हालात में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. गड़चिरोली के भामरागढ़ क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई इलाकों में पानी भर गया. स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया. अधिकारियों के अनुसार, करीब 525 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया.यह अभियान गुरुवार दोपहर शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा. प्रशासन की टीमों ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जिला कलेक्टर अविष्यांत पांडा के मार्गदर्शन में चलाया गया.

नगालैंड में जहरीली शराब से 2 दिन में 19 लोगों की मौत

- 19 गिरफ्तार, छापेमारी में 3000 बोतलें शराब जब्त; राज्य में 36 साल से शराब बैन

कोहिमा, 26 सितंबर (वि.प्र.)

नगालैंड में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई. पिछले दो दिनों में मोकोकचुंग जिले में 8 और तुएनसांग जिले में 11 मौतें हुई हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब पीने के बाद कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और बाद में उनकी मौत हो गई. मौतों के बाद पुलिस ने कई जगह छापेमारी की. इस कार्रवाई में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 3,000 शराब की बोतलें जब्त की गईं. पुलिस ने जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई है. शराब के सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए गुवाहाटी भेजे गए हैं. राज्य में 1990 से शराबबंदी कानून लागू है. पुलिस के मुताबिक, मौतें जहरीली शराब पीने के बाद होने की आशंका है. फोरेंसिक जांच से मौत की सही वजह पता चलेगी. डखढ मौतों के साथ जहरीली शराब बेचने वालों और सप्लाई चेन की भी जांच करेगी.

मृतक से ट्रेन टिकट न मिलने पर मुआवज़े का दावा खारिज नहीं हो सकता : SC

नई दिल्ली, 26 सितंबर (वि.प्र.)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी मृत यात्री से ट्रेन का टिकट बरामद न होना मुआवजे के दावे को खारिज करने का आधार नहीं बन सकता. शीर्ष अदालत ने 2017 में गुजरात में चलती ट्रेन से गिरकर जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के माता-पिता को दिया गया 8 लाख रुपये का मुआवजा बहाल कर दिया.

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें महेशभाई की मौत के मामले में उनके माता-पिता को दिए गए मुआवजे को खारिज कर दिया गया था. महेशभाई 27 सितंबर 2017 को अहमदाबाद के रास्ते सूरत जा रहे थे. इसी दौरान अचानक झटका लगने से वह ट्रेन के सामान्य डिब्बे से नीचे गिर गए थे.



पीठ ने कहा, हाईकोर्ट ने रेलवे टिकट नहीं मिलने को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया. उसने पीड़ित के पिता द्वारा शपथ पर दिए गए बयान और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पीड़ित एक महीने से अधिक समय तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा था. संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीड़ित एक वास्तविक यात्री था और उसके टिकट की बरामदगी नहीं होने से मुआवजे के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता.

17 जून 2022 को रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने माना था कि महेशभाई एक अवांछित घटना के शिकार हुए थे और दुर्घटनावश ट्रेन से गिरने के कारण उन्हें चोटें आई थीं. न्यायाधिकरण ने उनके माता-पिता को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. घटना की तारीख से आदेश की तारीख तक नौ प्रतिशत सालाना ब्याज भी निर्धारित किया गया था.

गैंगरेप मामले में झांसी के डीएम और एसएसपी को नोटिस

झांसी, 26 सितंबर (वि.प्र.)

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने झांसी ज़िला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए. यह कदम उन मीडिया रिपोर्टों के बाद उठाया गया जिनमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 19 साल की एक महिला ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि तीन नाबालिगों समेत 6 लोगों ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया था. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने एक बयान में कहा कि मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों से दो हफ़्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है. उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में जांच की स्थिति और अगर मृतक के परिवार को कोई मुआवज़ा दिया गया है, तो उसकी जानकारी शामिल होगी.

कंबोडियाई प्रेमिका से शादी हेतु गैंगस्टर को 12 घंटे की पैरोल

500 मेहमानों की मौजूदगी में फार्महाउस में हुआ विवाह ; रात 8 बजे लौटा जेल



गुरुग्राम, 26 सितंबर (वि.प्र.)

उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर मणिपाल ढिल्ला उर्फ मणिपाल बडली को अपनी कंबोडियाई प्रेमिका से शादी करने के लिए 12 घंटे की पैरोल दी गई. गुरुवार को गुरुग्राम के एक फार्महाउस में करीब 500 मेहमानों की मौजूदगी और कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों ने विवाह किया. शादी की रस्में पूरी होने के बाद रात 8 बजे ढिल्ला वापस जेल लौट गया.

ढिल्ला की दुल्हन मेटा चान कंबोडिया की रहने वाली है. माना जाता है कि दोनों की मुलाकात 2018 में हुई थी, जब ढिल्ला पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद देश छोड़कर फरार हो गया था. इसके बाद दोनों लंबे समय तक साथ रहे और उनके तीन बच्चे भी हैं. वर्ष 2025 में कंबोडियाई अधिकारियों ने ढिल्ला को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे भारत वापस लाया गया.

शादी झज्जर-गुरुग्राम रोड स्थित दुलीना फार्म में हुई, जो उस झज्जर जेल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है, जहां ढिल्ला उम्रकैद की सजा काट रहा है. सुरक्षा के लिए करीब 100 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. फार्महाउस के आसपास पुलिस का कड़ा पहरा था और अंदर आने वाले लोगों की जांच की गई. सुरक्षा कारणों से मीडिया को विवाह स्थल के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई.

पैरोल पर बाहर आकर हो गया था फरार झज्जर जिले के बडली गांव का रहने वाला ढिल्ला हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और आपराधिक साजिश से जुड़े 2007 के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. अप्रैल 2013 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जुलाई 2018 में उसे हिसार सेंट्रल जेल से छह सप्ताह की पैरोल मिली थी, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद वह जेल नहीं लौटा. आरोप है कि फर्जी पहचान के सहारे वह देश छोड़कर भाग गया और बाद में कंबोडिया पहुंच गया. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी हुआ था.

